

सलंगन स्टाम्प सलंगन - 12 AA 919382  
दिनांक - 9/01/12



प्ररूप 26  
(नियम 4क देखिए)

29-इबरेडा (अ० जा०)

(निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

सत्य विधानसभा उत्तराखण्ड (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, हरी दास पुत्र/पुत्री/पत्नी शोभा राम

आयु 52 वर्ष, जो ग्राम लाठरदेवा इलाका इबरेडा  
पुलिस थाना मंगलौर लखसरा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। नहीं है  
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):- नहीं है

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं X लागू नहीं

(ii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं राज्य X लागू नहीं

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है X लागू नहीं  
X लागू नहीं

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई X लागू नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे X लागू नहीं

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं X लागू नहीं

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ~~उहसाया गया~~ है/नहीं

[Signature]

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/ नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-


- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....  लागू नहीं
- (ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है.....  लागू नहीं
- (iii) पुलिस थाना (थाने).....  लागू नहीं जिला (जिले)  लागू नहीं  
.....  लागू नहीं राज्य.....  लागू नहीं

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारारें) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....  लागू नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.....  लागू नहीं

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....  लागू नहीं

स्थान रवडकी  
तारीख 09/01/2012


  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन




मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग छिपाया नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

स्थान पर आज तारीख..... 09-01-12 को सत्यापित किया।

  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।

  
Rejendra Prasad Sharma  
09/01/12

IDENTIFIED BY  
विवेक शर्मा  
रजि. सं. 1283/09

6



कोशमंडी जिला (उत्तराखण्ड)  
 कोड 246155  
 19 DEC 2011  
 जिला मजिस्ट्रेट (उत्तराखण्ड)  
 2010-2011

उत्तराखण्ड

12AA 919382

सलानक - शुपथ - पत्र

प्रश्नपत्र-26

29 - सबरैज (आ जाठ)  
 हरी राम दुग्गल शोभाराम

भारतीय भारत सरकार  
 R. P. Sharma  
 Advocate/Notary  
 Laksar  
 Distt. Haridwar  
 Regd. No. - 1857/2001  
 NOTARY GOVT. OF INDIA

Dushy